भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1982
दिनांक 17 दिसम्बर 2025 / 26 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस नेटवर्क (पोलनेट) का सुदृढ़ीकरण

1982# श्रीमती दर्शना सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने पुलिस नेटवर्क (पोलनेट) को सुदृढ बनाने के लिए क्या प्रयास किये हैं;

(ख) पुलिस संचार व्यवस्था ने देश के सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत के साथ जुड़े संगठनों की संचार आवश्यकता को कैसे पूरा किया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): 'पुलिस' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) के तहत राज्य का विषय है। राज्यों द्वारा अपने पुलिस बलों को सुसज्जित और आधुनिक बनाने के प्रयासों को "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" योजना [पूर्व में "राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" योजना] के तहत सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हथियार, सूचना प्रौद्योगिकी-उपकरण, प्रशिक्षण, उन्नत संचार उपकरण, साइबर पुलिस व्यवस्था के लिए आवश्यक उपकरण, आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत की पुलिस संचार प्रणाली विभिन्न प्रकार के नेटवर्क के माध्यम से जन सुरक्षा और आपदा राहत संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसमें फील्ड ऑपरेशन के लिए हाई फ्रिक्वेंसी (एचएफ)/वैरी हाई फ्रिक्वेंसी (वीएचएफ)/अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी (यूएचएफ) रेडियो और लंबी दूरी तथा आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए उपग्रह आधारित पोलनेट नेटवर्क शामिल है।

पुलिस संचार प्रणाली का उन्नयन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को वीडियो, वॉयस और डेटा से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए फिक्सड सैटेलाइट बेस्ड कैप्टिव संचार नेटवर्क-पोलनेट को देश भर में पोलनेट-2 में उन्नत किया गया है।

*****